उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ

पत्र सं० 788–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 09– 8–काविनी / 2001 दिनांक 4 जुलाई, 2009

कार्यालय ज्ञाप

****

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में दिनांक 14.01.2000 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों पर अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू किए जाने विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1915–पीएण्डआर–28 / पाकालि / 02–8 काविनी / 01 दि० 06.06.2003 सपठित आदेश सं० 1274–पीएंडआर–28 / पाकालि / 2004–8 काविनी / 01 दि० 18.6.2004 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों / स्पष्टीकरण के तारतम्य में निम्नवत् आदेश जारी किए जाते हैं :–

(क) वेतन + महंगाई भत्ता (यथा स्थिति) का 10 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान तथा समतुल्य (परन्तु प्राविधानित सीमा तक) धनराशि नियोक्ता के अंशदान के रूप में कार्मिक के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना खाते में जमा कराया जायेगा।

(ख) दिनांक 14.01.2000 के पश्चात नियुक्त सभी कार्मिकों, जिनके अंशदान की कटौती कार्यालय ज्ञाप सं० 1915–पीएण्डआर–28 / पाकालि / 02–8 काविनी / 01 दिनांक 6.6.03 निर्गत होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात, स्पष्ट व्यवस्था के आभाव में, वेतन से कटौती कर ली गई है, के मामलों में कार्मिकों के अंशदान का पूर्ण विवरण आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित लेखा इकाई से सत्यापित कराकर (ऐसे कार्मिकों को छोड़कर जिनके अंशदान ट्रस्ट द्वारा वापस किया जा चुका है) उपलब्ध कराने के साथ नियोक्ता अंशदान एवं अंशदायी भविष्य निधि योजना में समय–समय पर अनुमन्य ब्याज दर पर नियमानुसार अद्यतन ब्याज आगणित कर आगणन तालिका सहित (Calculation Sheet) बैंक ड्रॉफ्ट सचिव ट्रस्ट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, अंशदायी भविष्य निधि के पक्ष में देय सी०पी०एफ० ट्रस्ट कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। उपरोक्तानुसार नियोक्ता अंशदान ब्याज सहित बैंक ड्राफ्ट एवं कार्मिक अंशदान की कटौती का आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने पर ही कार्मिकों को उसकी अंशदान प्रारम्भ करने की तिथि से सी0पी0एफ0 योजना का लाभ अनुमन्य हो सकेगा।

(ग) उपरोक्त बिन्दु 'ख' में वर्णित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर ही अंशदान के रूप में कर्मचारी के वेतन से की गई कटौती वेतन भुगतान के माह से उ०प्र० पावर कारपोरेशन

(क्रमशः - 2)

लि०, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के लिए कार्मिक अंशदान के रूप में जमा मानी जाएगी तथा समतुल्य परन्तु प्राविधानित सीमा तक नियोक्ता का अंशदान भी कर्मचारी के अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा माना जायेगा एवं उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय लेखा कार्यालय से सत्यापित अंशदान की कटौती पर अंशदायी भविष्य निधि योजना में समय–समय पर अनुमन्य ब्याज दर के अनुसार ब्याज भी देय होगा।

2. सम्बन्धित इकाईयों द्वारा उपरोक्त आदेशों का ससमय नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अभीष्ठ है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 788 (1)–काविनी एवं वे०प्र०–29/09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- सचिव, (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- सचिव (वित्त), वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3- अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
8- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
11- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।

(क्रमशः – 3)

12- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।

18- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लॉईज ट्रस्ट, शक्ति भवन लखनऊ।

19- मुख्य प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जॉपलिंग रोड, लखनऊ।

20- अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ०प्र०, 103 कीर्ति शिखर अपॉर्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, स्टेशन रोड, लखनऊ।

21- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

22- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(मो० राशिद)
उप सचिव (काविनी)